महिला सशक्तिकरण के बदलते प्रतिमान
(समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ. रानू चौबे
अतिथि विद्वान - समाजशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर, उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

किसी भी समाज के अस्तित्व का प्रमुख आधार महिला ही रही है। हमारे समाज में सनातन काल से ही स्त्रियों को दैवीय शक्ति के रूप में पूजा जाता है, स्त्रियां आदि काल से अनेक परिवारिक एवं सामाजिक दायित्व अपने कंधे पर उठाती आ रही हैं। इसके उपरांत भी महिलाओं को समाज में वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए, किंतु वर्तमान समय में शासन द्वारा एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हीं बदलते प्रतिमानो ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास इस शोध पत्र में किया जा रहा है।

मुख्य शब्द - महिला सशक्तिकरण, प्रतिमान, अस्तित्व, मातृसत्तात्मकता, पितृसत्तात्मकता

भारतीय संस्कृति में प्राचीन वैदिक काल से ही नारी का स्थान सम्मानीय रहा है और कहा गया है कि-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रफलाः क्रियाः।

अर्थात् जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा, मधुर वचनादि द्वारा सत्कार नहीं होता है, उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं।

प्राचीन कालीन समाज, मातृ सत्तात्मक समाज था और पुरुषों के जीवन को स्थायित्व देकर परिवारिक व्यवस्था का प्रारंभ स्त्रियों से ही माना जाता है और सभ्यता संस्कृति के प्रारंभ से ही स्त्रियों का अस्तित्व रहा है। किंतु कालांतर में धीरे-धीरे सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक से पितृसत्तात्मक होती गई और नारी, समाज के हाशिए पर चली गई। आर्यो की सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी ऋग्वेद काल में स्त्रियां उस समय की सर्वोच्च शिक्षा अर्थात् बृह्मज्ञान प्राप्त कर सकती थी अर्द्धनारीश्वर की कल्पना स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों तथा उनके संतुलित संबंधों का परिचायक है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करने के अलावा पति के साथ यज्ञ-पूजा का संपादन भी करती थी। वेदों में अनेक स्थलों पर रोमाला, घोपाल, सूर्या, अपाला, सावित्री, यमी, श्रद्धा, कामायनी, विश्वभरा देवयानी आदि विदुषियों के

नाम मिलते हैं। किंतु मध्यकाल तक आते-आते महिलाओं की स्थिति निम्नतर होने के पीछे एक नहीं अपितु बहुत से कारण है जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की सोच एवं स्वयं के लिए उनकी सोच जिम्मेदार है जिसने उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया और वर्तमान समय में भी महिलाएं अपनी संकुचित सोच के कारण ही स्वयं को सशक्त नहीं बना पा रही। यद्यपि व्यक्ति के जीवन में उसकी सोच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी सोच ही समाज में उसे स्थायित्व प्रदान करती है तथा उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक बनाती है। महिलाओं को इस दयनीय स्थिति से उबारने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किए जाने लगे जिसे नाम दिया गया ''महिला सशक्तिकरण ''।

सशक्तिकरण शब्द एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी शक्ति विहीन को शक्तिशाली या सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है किंतु जैसे ही उस शब्द के साथ महिला जुड़ जाता है तो वह महिला सशक्तिकरण का रूप ले लेता है। महिला सशक्तिकरण भौतिक, अध्यात्म, मानसिक और शारीरिक एवं अन्य स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि-महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं का समाज की सभी परिस्थितियों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना साथ ही विभिन्न गतिविधियों में विभिन्न स्तरों पर उनकी सक्रिय सहभागिता एवं नेतृत्व संबंधी क्षमताओं का विकास करना है। महिलाओं के नेतृत्व के गुणों की चर्चा करते हुए- पेराट सिस्टम टेक सर्विसेज प्रमुख पद्मा रविचंदर कहती हैं, नेतृत्व की भूमिका निभाने वाली महिलाओं में समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है, किंतु प्रश्न यह उठता है कि महिला अशक्त कैसे हुई और क्यों हुई महिला भी पुरुषों की तरह स्वस्थ मनुष्य है, मेधावी मस्तिक होने के बाद भी उसे अशक्त माना जाता है और फिर उसके सशक्तिकरण की बात की जाती है।

वास्तविक स्थिति तो यह है कि महिला अशक्त नहीं होती बल्कि उसके विकास की प्रक्रिया है जो समाज द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से महिला के लिए निर्धारित की गई इस संदर्भ में कूले ने लिखा है कि दूसरे व्यक्तियों का विचार, निर्णय आदि व्यक्ति के स्वयं का आईना होता है और इसी आईने में वह ''आत्म'' के दर्शन करता है।

स्त्रियां भी अपने आत्म के दर्शन हेतु समाज अर्थात् पितृसत्तात्मक समाज पर निर्भर करती है। इस पुरुष प्रधान समाज ने स्त्री जीवन को ही अपने अधीन नहीं बनाया बल्कि उसकी सोच, विचारों पर भी आधिपत्य किया। वह अपने जीवन में चुनाव करने की क्षमता रखते हुए भी अपने ही जीवन की दशा एवं दिशा का चुनाव नहीं कर पाती। वर्तमान भारतीय समाज में परिवर्तन की झलक दिखाई पड़ने लगी परंतु स्त्रियों को लेकर समाज की पारम्परिक विचार शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब समाज सरल अवस्था में थे दो स्त्रियों को बंधनों में जकड़ कर रखा कि वे केवल आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है किंतु जैसे-जैसे समाज जटिल अव्यवस्था की ओर बढ़ने लगा तो अपनी आवश्यकता एवं सहयोग के लिए स्त्रियों के बन्धनों को ढीला किया जाने लगा जहां उन्हें आजादी के नाम पर भी दूसरों के हिसाब से अपना जीवन जीने के लिए विवश रहना पड़ता है ये बात अलग है कि अपनी इच्छानुसार जीवन जीने वाली महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है और इस बात

की पुष्टि डॉ. अल्तेकर ने कि है ''हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि समय बदल चुका है घोर तपश्चर्यो के पुराने आदर्शों का आकर्षण समाप्त हो चुका है सत्ता का युग समाप्त हो चुका और उसके स्थान पर तार्किकता एवं समानता का काल आ चुका है इसलिए प्रस्तावित परिवर्तन को लाते हुए नवीन परिस्थितियों के साथ स्त्रियों की स्थिति का समायोजन करना चाहिए और इस समायोजन के कारण आये बदलाव निम्न प्रकार है-

सशक्तिकरण के बदलते प्रतिमान - वर्तमान समय में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं अर्थात उनके सर्वांगीण विकास की बात। यदि प्राचीन भारतीय समाज की बात की जाए तो यह बात सामने आती है कि उस वक्त की महिलाएं ज्यादा सशक्त थी, खुले रुप में विचारों को प्रकट करती थी और इसका सबसे सशक्त उदाहरण द्रौपदी का देखने को मिलता है उस समाज व्यवस्था में महिलाओं को सम्मान तो दिया ही जाता था, उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा का दायित्व भी समाज का होता था। श्री राधाकृष्ण के अनुसार ''भारतीय सामाजिक जीवन में स्त्री की स्थिति में जितने उतार-चढ़ाव आते रहे विश्व इतिहास में किसी दूसरे समाज में दिखाई नहीं देते है।'' सामाजिक व्यवस्था चाहे जैसी भी रही हो किंतु महिलाओं ने उचित मार्गदर्शन के अभाव में भी अपने अस्तिव की लड़ाई लड़ी और जीती भी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए न केवल महिलाओं को आगे आना चाहिए बल्कि परिवार, समाज तथा प्रशासन को भी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अतः प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं के लिए विभिन्न कानून एवं कार्यक्रमों को शामिल किया जैसेः- न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, समान परिश्रमिक कानून 1976, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923, बधुआ मजदूरी 1975, संपत्ति में उत्तराधिकार अधिनियम, दहेज अधिनियम बाल विवाह अधिनियम इत्यादि। इन सभी कानूनों ने महिलाओं को कहीं ना कहीं लाभ पहुँचाया इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण में कई योजनाओं द्वारा भी इस कार्य में गतिशीलता लाने का प्रयास किया गया। यहां कुछ चुनिंदा योजनाओं की चर्चा की जा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन - बालिकायों को घर गृहस्थी से निकालकर स्कूल तक पहुंचाने का कार्य सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा इसी संदर्भ में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विभिन्न स्कालरशिप/ छात्रवृत्ति की सुविधा शासन द्वारा दी जा रही है।

सबला योजना - 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को पौष्टिक आहार, आयरन की दवा एवं अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है।

मातृत्व योजना - 19 साल और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो बच्चों के जन्म के समय वित्तीय सहायता राशि देना।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं की मृत्यु दर को कम करना है और उनको शिक्षित करना है।

व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन - ग्रामीण क्षेत्रों की महिलायें अधिकांश कृषि पर निर्भर करती या घर पर बीढ़ी, अगरबत्ती, बड़ी- पापड़ बनाने का कार्य मजदूरों के रूप में करती थी, वर्ततान में शासन ने विभिन्न प्रकार के ऋणों की सुविधा ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं को देकर उन्हें अपना उद्योग लगाने की सुविधा प्रदान की तथा आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया।

राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन - संविधान के 73वें संशोधन 1992 में महिलाओं को पंचायतों में एक तिहाई (33 प्रतिशत) आरक्षण दिया गया वर्तमान समय में इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर (50 प्रतिशत) कर दिया यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है। इसके अतिरिक्त भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा की कल्पना आमतौर पर शारीरिक सुरक्षा से होती है इससे आगे नहीं किंतु वर्तमान सरकार ने इससे परे जाकर अधिक व्यापक दृष्टिकोण का अपनाया है अब सरकार ने इस व्यापक कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया है जो सुरक्षा से संबंधित है।

मां और बच्चे का सुरक्षित स्वास्थ्य - इस योजना के माध्यम से पर्याप्त पोषण आहार, कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की, राष्ट्रीय पोषण आहार की, मिशन इंद्रधनुष की व्यवस्था की गई। सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण- स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों, आवास प्राथमिकता, धुआं रहित रसोई, तीन तलाक, हज यात्रा मुस्लिम महिलाएं बिना मेहराम (गार्जियन) के जा सकती हैं, उज्जवला योजना, पासपोर्ट नियमों में बदलाव, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास नामांकन में महिलाओं को प्राथमिकता, महिला सुरक्षा की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने तत्काल सुरक्षा अलर्ट के लिए फोन बेस्ट एप्लीकेशन के साथ-साथ ऑनलाइन सहित कई प्लेटफार्म को चलाया, निर्भया फंड, महिलाओं के खरीदने बेचने संबंधी कानून, हिम्मत एप आदि को सुचारू रूप से लागू किया।

वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण - जिसमें महिलाओं के बीच उद्यमशीलता स्वयं सहायता समूह एवं बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा दिया। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रगति योजना उपयुक्त योजना में कुछ योजना पूर्व सरकार के कार्यकाल में संचालित थी जिन्हें नाम बदलकर नए रूप में परिवर्तन सरकार द्वारा लागू किया गया इन सभी योजनाओं से निश्चित रूप से महिलाएं लाभान्वित हुई है उच्च एवं निम्न वर्ग की महिलाओं में सशक्तिकरण की झलक देखने को मिलती भारत की पहली महिला राष्ट्रपति सुश्री प्रतिभा पाटिल भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति श्री द्रोपदी मुर्मु (आदिवासी दलित), कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम भारत ही नहीं बल्कि ताकतवर महिलाओं में लिया जाता है। शीला दीक्षित (पूर्व मुख्यमंत्री) कांग्रेस की मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष (संसद) मायावती (उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री) उमा भारती आदि। समाज के विभिन्न समाजिक, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी योग्यता का परचम लहराया ये सभी महिलाएं उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर की है तथा बड़े एवं छोटे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई।

और अंत में यही कहा जा सकता है कि-शिक्षा जीवन में प्रगति करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ज्ञान के पंख लगाकर ही खुले आसमान में आजादी से उड़ा जा सकता है। पहले ''मैं सक्षम हूं'' इस बात का महिलाओं को खुद को यकीन दिलाना जरूरी है।

सन्दर्भ -

1. Majumdar, Biman Bihari; History of Indian Social and political ideas form Rammohan to Dyanand Culkutta Bookland, p 25, 1970
2. Sharma, Usha; Woman Enpowerment though information technology, p 8-9, 2001
3. दुबे, श्यामाचरण; भारतीय समाज नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया नई दिल्ली, पृ. 98-105, 2001
4. यशपाल एवं ग्रोवर, बी.एल.; आधुनिक भारत का इतिहास, एस चंद्र एडं कंपनी लि.नई दिल्ली, पृ. 333-34, 1999
5. चौबे, डॉ. रानू; ''महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका'' महिला सशक्तिकरण पब्लिश कम्प्यूटर रामपुरा रोड सागर (म.प्र.), 2014
6. https://www.harendramodi., 20 jan 2023
7. artofliving.org./in., 20 jan 2023
8. open.lib.imn.edu., 20 jan 2023